नेपा लिमिटेड : नेपानगर (म.प्र.)

(भारत सरकार का उपक्रम)

क्र.हि./10

दिनांक 14.09.2021

संदेश

हिन्दी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हिन्दी में संस्कृति, कला, अध्यात्म, परम्परा, साहित्य, ज्ञान और विज्ञान समेत हजारों वर्षों की संचित विरासत समाई है। यह सब कुछ एक सुखी और संतुष्ट जीवन के साथ ही अर्थोपार्जन में भी सहायक हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा में 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया और इसके प्रचार–प्रसार का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। हमारा संस्थान भी इसके लिये प्रतिबध्द है। अत: हम दिनांक 14.09.2021 से 21.09.2021 तक हिन्दी सप्ताह मना रहे हैं। इस अवसर पर बुध्दिजीवियों एवं विद्वानों की सूक्तियों का प्रदर्शन हमें हिन्दी के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण की ओर अग्रसर करती हैं।

भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास में आम जनता की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में हिन्दी की अहम भूमिका है। इसे अपनाने से देश की एकता और सुदृढ़ होगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र की एकता और अखंडता की दृष्टि से जनमानस में हिन्दी की सर्वमान्यता को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 351 में यह प्रावधान किया कि भारत सरकार हिन्दी के सर्वांगीण विकास के लिये वे सभी संभव प्रयास करे, जिससे इसे और अधिक जन–स्वीकार्य बनाया जा सके।

स्वाधीनता के पश्चात राजभाषा हिन्दी का "चहुँमुखी" विकास हुआ है। आज हिन्दी इतनी सक्षम है कि उसमें चिकित्सा, विज्ञान तथा प्रोधोगिकी, कृषि कम्प्यूटर मानविकी, प्रबंधन आदि अनेक विधाओं में बैज्ञानिक, तकनीकी और साहित्यिक रचनाएँ लिखना सरल और सहज हो गया है। हिन्दी में रचनात्मक कार्य करना संभव है, अब यह व्यापक रुप से स्वीकार किया जा रहा है।

मैं, सभी से अपील करता हूँ कि राजभाषा हिन्दी को सशक्त व विश्वव्यापी भाषा बनाने के लिये विभिन्न नई तकनीकों और प्रयोगों का लाभ लेते हुए सदैव प्रयासरत् रहें। अपने कार्यालयीन कामकाज में तथा दैनन्दिन के विभिन्न लेखन कार्यों में टिप्पणी, नोटिंग, लेखन आदि को शामिल करें। इन छोटे–छोटे प्रयासों से कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने की व्यावहारिकता का विकास होगा, जिससे हिन्दी में कार्य करना और अधिक सहज हो सकेगा।

संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह है कि वैश्विक स्तर पर हो रही प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हम आज 14 सितंबर, 2021 को 'हिंदी दिवस' के शुभ अवसर पर संविधान की मूल भावना के अनुरुप सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिंदी में करने का संकल्प लें। हमें विश्वास है कि आपके संकल्प और सहयोग से राजभाषा हिंदी का मार्ग प्रशस्त होगा और हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे।

मैं, आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हों और राजभाषा हिन्दी में अपना काम-काज करते हुए संविधान के प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश, संसद के निर्देश, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दी गई व्यवस्थाओं का कार्यान्वयन करें।

हिन्दी की समृध्दि से राष्ट्र समृध्द होगा एवं राष्ट्रीयता की ध्वनि गूँजेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(कमोडोर सौरभ देब)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

समस्त विभाग
समस्त सूचना पटल

आज़ादी का अमृत महोत्सव